न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–172/2021 दायर दिनांकः 29.10.2021

CMS NO:- 2021/309

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

शोजीलाल पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम शिवपुरा ग्राम पंचायत सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

बाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सहण पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि प्रार्थी के खातेदारी की खसरा संख्या 254 रकबा 0.6472 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता बंसोली से सहण जाने वाले रास्ते से खसरा संख्या 254 के पूर्वी ओर से हटकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 254 पर पहुंचता है। यह कि खसरा संख्या 259 जिसमें होकर प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता है जो सिवायचक भूमि है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि उक्त 12 फीट चौडा रास्ता आवागमन में सकडा पडता है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 259 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 259 में से रकबा 30 फीट • 38 फीट = 1140 वर्ग फीट = रकबा 0.0105 है0 भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में डोटेड लाइन काली स्याही से दर्शाया गया है जिसका रकबा 0.0105 बिस्वा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सहण में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम सहण पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 254 रकबा 0.6472 है0 भूमि हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 259 में से रकबा 30 फीट • 38 फीट = 1140 वर्ग फीट = रकबा 0.0105 है0 भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस मे डोटेड लाईन काली स्याही से दर्शाया गया है जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...105 बिस्वा है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में काली स्याही से अंकित किया गया है, के ... रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग ...आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व ...रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner